

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 जून, 2021

संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (180).— भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में संदर्भ: का.आ. 4879(ई) दिनांक 10 सितम्बर 2018 के भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में 17 सितम्बर 2018 को प्रकाशित भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधनकरता है:

अनुसूची के क्रम संख्या (15), कॉलम (2) में – ‘आई एस/आई एस ओ 11979-2 : 2014 नेत्र – सम्बंधी प्रत्यारोपण – इंद्राओकुलर लेंस भाग 2 ऑप्टिकल गुण और परीक्षण विधियां’ को ‘आई एस/आई एस ओ 11979-2 : 2014 नेत्र –सम्बंधी प्रत्यारोपण – इंद्राओकुलर लेंस भाग 2 ऑप्टिकल गुण और परीक्षण विधियां (पहला पुनरीक्षण)’ से प्रतिस्थापित करें।

अनुसूची के क्रम संख्या (15), कॉलम (4) में – ‘लागू नहीं’ को ‘आई एस/आई एस ओ 11979-2 : 1999 नेत्र – सम्बंधी प्रत्यारोपण – इंद्राओकुलर लेंस भाग 2 ऑप्टिकल गुण और परीक्षण विधियां’ से प्रतिस्थापित करें।

अनुसूची के क्रम संख्या (15), कॉलम (5) में – ‘लागू नहीं’ को ‘4 सितम्बर 2018’ से प्रतिस्थापित करें।

अनुसूची के क्रम संख्या (16), कॉलम (2) में – ‘आई एस/आई एस ओ 11979-3 : 2012 नेत्र – सम्बंधी प्रत्यारोपण – इंद्राओकुलर लेंस भाग 3 यांत्रिक गुण और परीक्षण विधियां’ को ‘आई एस/आई एस ओ 11979-3 : 2012 नेत्र – सम्बंधी प्रत्यारोपण – इंद्राओकुलर लेंस भाग 3 यांत्रिक गुण और परीक्षण विधियां (पहला पुनरीक्षण)’ से प्रतिस्थापित करें।

अनुसूची के क्रम संख्या (16), कॉलम (4) में – ‘लागू नहीं’ को ‘आई एस/आई एस ओ 11979-3 : 2006 नेत्र – सम्बंधी प्रत्यारोपण – इंद्राओकुलर लेंस भाग 3 यांत्रिक गुण और परीक्षण विधियां’ से प्रतिस्थापित करें।

अनुसूची के क्रम संख्या (16), कॉलम (5) में – ‘लागू नहीं’ को ‘4 सितम्बर 2018’ से प्रतिस्थापित करें।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./121/2021-22]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st June, 2021

Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (180).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published on 17 September in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary vide Ref: S.O. 4879(E) dated 10 September 2018 in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, of the Gazette of India.

Sl. No. 15, column (2) of the schedule — Substitute ‘**IS/ISO 11979-2 : 2014 Ophthalmic implants — Intraocular lenses — Part 2: Optical properties and test methods (first revision)**’ for ‘**IS/ISO 11979-2 : 2014 Ophthalmic Implants – Intraocular Lenses Part 2 Optical Properties and Test Methods**’

Sl. No. 15, column (4) of the schedule — Substitute ‘**IS/ISO 11979-2 : 1999 Ophthalmic implants — Intraocular lenses — Part 2: Optical properties and test methods**’ for ‘**NA**’

Sl. No. 15, column (5) of the schedule — Substitute ‘**4 September 2018**’ for ‘**NA**’

Sl. No. 16, column (2) of the schedule — Substitute ‘**IS/ISO 11979-3 : 2012 Ophthalmic implants — Intraocular lenses — Part 3: Mechanical properties and test methods (first revision)**’ for ‘**IS/ISO 11979-3 : 2012 Ophthalmic implants – Intraocular Lenses Part 3 Mechanical Properties and Test Methods**’

Sl. No. 16, column (4) of the schedule — Substitute ‘**IS/ISO 11979-3 : 2006 Ophthalmic implants — Intraocular lenses — Part 3: Mechanical properties and test methods**’ for ‘**NA**’

Sl. No. 16, column (5) of the schedule — Substitute ‘**4 September 2018**’ for ‘**NA**’

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization – P & M)

[ADVT.-III/4/Exty./121/2021-22]